न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 106 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 309
दायर दिनांक :– 20.06.2024 निर्णय दिनांक :– 21.01.2025

1. विक्रमसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. कविता कंवर पत्नी प्रवीणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री रणीदानसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलक्टर

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 414 / 1 रकबा 3.9497 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 3.9416 हैक्टेयर मौजा बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 423 के चिपते है जिस पर प्रार्थी प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को लेकर कभी भी बंटवाडा नहीं किया है और न ही प्रार्थी ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थी को सूचित किये बगैर ही सरासर गलत तरीके से प्रार्थी की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि ग्राम बारू के खसरा नम्बर 414 / 1 रकबा 3.9497 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 414 रकबा 3.9416 हैक्टेयर की नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी के कब्जा काश्त के विपरित कर दी। जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी के कब्जा काश्त के विपरित की गयी तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से अधिवक्ता सुभाष विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

21.01.25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 414/1 रकबा 3.9497 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 414 रकबा 3.9416 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का बारू एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 414/1 रकबा 3.9497 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 414 रकबा 3.9416 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का बारू एवं भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.01.25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)